राजस्थान सरकार
स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक :प.10 ( ) (नव न.पा.)चुनाव/जन/स्वा.शा.वि./22/2403–2435 दिनांक:10/10/2022

प्रेषक :–

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

प्रेषिति :–
जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त राजस्थान ।

विषय :– नगर पालिका चुनाव 2023–24 हेतु नवगठित नगर पालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डो का गठन एवं परिसीमांकन बाबत ।

.....

1... राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 27 नवगठित नगर निकायो में वार्डो की कुल संख्या का निर्धारण अधिसूचना क्रमांक 1523 दिनांक 10.06.2019 के आधार पर किया जाना है। इन नवगठित नगर पालिकाओ के चुनाव भी कराये जाने है। इन नगर पालिकाओ में वार्डो का गठन एवं परिसीमांकन किया जाना है। जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1523 दिनांक 10.06.2019 के अनुसार वार्डो की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्र. सं.	जनसंख्या	सीटो/सदस्यो की संख्या
01.	जनसंख्या 15,000 तक	20
02.	15,001 से 25,000 तक	25
03.	25001 से 40,000 तक	35
04.	40,001 से 60,000 तक	40
05.	60,001 से 80,000 तक	45
06.	80,001 से 1,00,000 तक	55
07.	1,00,000 से 2,00,000 तक	60

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका	जनसंख्या	प्रस्तावित वार्ड संख्या
1.	बीकानेर	खाजूवाला	11,645	20
2.	सवाईमाधोपुर	बौंली	15,300	25
3.	अलवर	टपूकडा	9,471	20
4.	जोधपुर	बालेसर –सत्ता	10,936	20
5.	सीकर	अजीतगढ	15,414	25
6.	जालौर	रानीवाडा	12,598	20
7.	अलवर	बर्डोद	16,434	25
8.	झुंझनूं	गुढागौडजी	13,369	20
9.	सीकर	दातारामगढ	18,344	25
10.	दौसा	मण्डावर	16,485	25
11.	भीलवाडा	हमीरगढ	12,713	20
12.	पाली	मारवाड जंक्शन	15,880	25
13.	अलवर	नीमराना	15,162	25

विशेष संयुक्त निदेशक
स्वायत शासन विभाग

Scanned with CamScanner

14.	अलवर	बड़ौदा मेव	11,893	20
15.	उदयपुर	झाड़ोल	13,539	20
16.	जयपुर	नरायना	15,063	25
17.	हनुमानगढ़	टिब्बी	13,387	20
18.	नागौर	बारानी	20,187	35
19.	बाड़मेर	सिवाना	24,387	25
20.	प्रतापगढ़	धरियावद	11,368	20
21.	अलवर	कोटकासिम	8,538	20
22.	नागौर	मोरावड़	24,975	25
23.	अलवर	गोविन्दगढ़	11,552	20
24.	नागौर	जायल	16,218	25
25.	अलवर	बहादुरपुर (किशनगढ़बास)	21,112	25
26.	उदयपुर	सेमारी	13,327	20
27.	जयपुर	मनोहरपुर	20,287	25

उपरोक्त तालिका में दर्शायी गई नवगठित नगर पालिकाओं के चुनाव अतिशीघ्र आयोजित किये जाने है। प्रत्येक वार्ड का परिसीमांकन प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। निधारित वार्डो का जनसंख्या के आधार पर नगर पालिकायों का वार्ड परिसीमांकन करना है। उक्त परिसीमांकन के दौरान नगर पालिकायों के वार्ड प्रस्ताव तैयार करना है, वार्ड प्रस्तावों की जॉच करना एवं आपत्तिया प्राप्त करके उनका निपटारा कर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना एवं वार्डो को अन्तिम कर राजपत्र में प्रकाशित करना आदि सभी कार्यवाही नियमानुसार की जानी आवश्यक है।

2. निर्धारित वार्डो का जनसंख्या के आधार पर तालिका में दर्शायी गई, नगर पालिकाओ का वार्ड सीमांकन करना है। राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टरर्स को अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2) चुनाव/जन/स्वाशावि/94/4748–4785 दिनांक 03.09.94 से वार्डो के सीमांकन हेतु शक्तियां प्रदत्त की है। उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वार्डो का सीमांकन एवं गठन शीघ्र करवाया जाना है।

3. . चूंकि उक्त प्रत्यायोजन के अनुसार नवगठित नगरपालिकाओ के वार्ड प्रस्ताव तैयार करना, वार्ड प्रस्तावों की जांच करना एवं उसके बाद वार्डो का राजपत्र में प्रारम्भिक प्रकाशन करना तथा वार्ड प्रस्तावो पर दावे एवं आपत्तियों का निपटारा कर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना एवं वार्डो की संख्या व परिसीमाकन को अन्तिम कर राजपत्र में प्रकाशित करना आदि सभी कार्यवाही जिला कलेक्टरो के द्वारा ही की जावेगी। अतः वार्ड गठन के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीयों को निम्न अनुदेश दिये जाते है :–

"अनुदेश"

1. प्रत्येक नगर पालिका में वार्ड नगरपालिका हेतु निर्धारित सीटो के अनुरूप होंगे।
2. यह संभव नहीं है कि सभी वार्डो की जनसंख्या का अनुपात समान हो। इसके समायोजन हेतु आनुपातिक सीमा से जनसंख्या 10 प्रतिशत अधिक हो सकती है अथवा 10 प्रतिशत कम हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में सीमा का उल्लंघन नहीं किया जावे।
3. वार्डो की सीमाएं जहां तक संभव हो सड़क या गली के आधार पर निर्धारित की जावे और यदि इससे वार्ड का अनुपात बिगडता हो तो वार्ड रेखा काल्पनिक भी रखी जा सकती है।
4. नगरपालिका के वार्डो को बनाते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि कोई भी क्षेत्र वार्ड में से छूट न जावे।

Scanned with CamScanner

5. वार्डो का इस प्रकार बनाये जो कि वार्ड लम्बे एवं सडकनुमा नहीं हो तथा यह भी ध्यान रखे कि किसी वार्ड में कोई पाकेट न बन जाये।
6. वार्डो का गठन इस प्रकार किया जाये कि एक ही मकान दो वार्डो में विभाजित न हो पाये।
7. बडे शहरों में विधानसभा बाउण्ड्री को न तोडा जाये तथा दो विधानसभा क्षेत्रों के बाउण्ड्री का एक वार्ड न बनाया जाये।
8. नगरपालिका के वार्डो को पूर्ण रूप से पुलिस थाने की सीमा के साथ इस प्रकार बनाया जावे कि पूरा वार्ड एक थाने की सीमा मे रहे। एक वार्ड दो अलग-अलग पुलिस थाने की सीमा में विभाजित नहीं होना चाहिए।
9. नगरपालिका के वार्डो को यथा संभव विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के साथ इस प्रकार रखा जावे कि सम्पूर्ण वार्ड एक ही जोन मे रहे।
10. नगरपालिका के वार्डो के गठन में उपायुक्त पुलिस के क्षेत्राधिकार के संबंध में इस प्रकार रखा जावे कि एक वार्ड अलग-अलग पुलिस उपायुक्त/पुलिस स्टेशन में नहीं रहे।
11. नगरपालिका वार्डो के गठन में उपखण्ड अधिकारी, अति जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार को भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार पुर्नगठित किया जावे कि सम्पूर्ण वार्ड एक ही क्षेत्राधिकार में रहे तथा उसमें पी.एच.ई.डी., पी.डब्ल्यू.डी. एवं डिस्कॉम के अभियन्ताओ के क्षेत्राधिकार के साथ भी समानता रखी जावे।
12. वार्डो का संख्याकन :- नगरपालिका में वार्डो का संख्याकन नगरपालिका के उत्तर पश्चिमी कोने से एनटीक्लोकवाईज प्रारम्भ करते हुए चक्रीय क्रम से किया जायेगा।

04. उक्त वार्डो के आरक्षण हेतु राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक नियम, 1994 बनाये गये है। आरक्षण उक्त नियमों एवं वर्ष 2004 में जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार किया जायेगा। वार्डो के संख्याकन एवं महिला आरक्षण आदि के लिये कार्य राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक) नियम, 1994 के नियमो के प्रावधानो के अनुरूप ही करना है।

05. वार्ड प्रस्ताव की 5 प्रतियां (प्रारूप "क"ख,ग, नक्शा) में तैयार की जावेगी। जिसमेः-

अ. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु विशेष वाहक द्वारा प्रेषित की जावेगी।
ब. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
स. संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी।
द. संबंधित नगरपालिका को कार्यालय उपयोग हेतु प्रेषित की जावेगी।

06. वार्ड प्रस्ताव तैयार करवाते समय आप नगरपालिका वार्ड की सीमाओं व कार्य प्रणाली के अच्छी प्रकार से जानकार अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा तैयार करवाये। इससे कार्य सरल हो जायेगा।

07.. वार्ड प्रस्ताव तैयार करवाते समय नवगठित नगरपालिका की मतदाता सूची भी तैयार करने की प्रारम्भिक कार्यवाही करवा ले। अतः जब वार्ड प्रस्ताव अन्तिम किये जायेंगे तो उस समय इस कार्य को दुबारा नहीं करना पडेगा। बडे शहरो में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र समाविष्ट है। अतः वार्ड बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि विधानसभा क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जावे।

कृपया निम्न कार्यक्रम के अनुसार समय पर कार्यवाही पूर्ण करे :-

क्र.सं.	विभिन्न कार्य	कुल दिवस	प्रस्तावित कार्यक्रम
1.	वार्ड गठन एवं वार्ड गठन का प्रकाशन परिसीमांकन आपत्तियां सुनवाई तथा जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत अन्तिम प्रारूप अनुमोदन हेतु भिजवाना।	30 दिन	11 अक्टूबर 2022 से 09 नवॅम्बर 2022
2.	राज्य सरकार से जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित प्रारूप का अनुमोदन।	20 दिन	10 नवॅम्बर 2022 से 30 नवम्बर 2022
3.	राज्य सरकार से अनुमोदित प्रारूप के पश्चात् राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन।	15 दिन	01 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022
4.	वार्डो के आरक्षण हेतु जिला स्तर पर लॉटरी द्वारा आरक्षण।	15 दिन	16 दिसम्बर 2022 से 30 दिसम्बर 2022

Scanned with CamScanner

उपरोक्त कार्यक्रम /दिशा निर्देश के अनुसार वार्डो के परिसीमांकन कार्य एवं वार्डो का आरक्षण पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रगति से संबंधित पत्र निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त विभाग जयपुर को संबोधित किया जायेगा। उक्त दिशा निर्देशो वार्डो के पुर्नसीमांकन एवं पुर्नगठन करते समय इससे संबंधित नियमों एवं पूर्व में जारी निर्देशो का पूर्ण अध्ययन कर उन्ही के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :प.10 ( ) (नव न.पा.)चुनाव / जन / स्वा.शा.वि. / 22 2436–2506 दिनांक /10/2022
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सचिव / उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव निदेशालय जयपुर ।
6. आयुक्त / निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज. विभाग,सचिवालय जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान ।
8. समस्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नवगठित नगरपालिकाएं) बीकानेर /अलवर, सवाईमाधोपुर /जोधपुर /सीकर / जालौर / झुंझनूं / दौसा / भीलवाडा / पाली / उदयपुर / जयपुर, हनुमानगढ / नागौर /बाडमेर / प्रतापगढ ।
9. परियोजना निदेशक / मुख्य नगर नियोजक , निदेशालय
10. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाशनार्थ।
11. अतिरिक्त निदेशक,निदेशालय / उप निदेशक (प्रशासन) निदेशालय।
12. उप निदेशक (सांख्यिकी) / सी.एम.आर. निदेशालय को निकायों में निर्वाचित सदस्यों एवं वार्ड सीमा क्षेत्र से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाये संकलित करते हुए केन्द्र सरकार को समय–समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु।
13. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय राजस्थान । कृपया संबंधित जिला कलेक्टर से समन्वय कर निर्धारित समय में कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
14. समस्त अध्यक्ष / अधिशाषी अधिकारी नवगठित नगरपालिका .... खाजूवाला / बौंली / टपूकडा, वर्डोद / नीमराना / बडोद मेव / कोटकासिम / गोविन्दगढ / बहादुरपुर (किशनगढबास) / रानीवाडा, बालेसर सत्ता / अजीतगढ / दाता / मण्डावर / हमीरगढ / मारवाड जंक्शन / ऋषभदेव / सेमारी / नरायना / टिब्बी / वासनी / बोरावाड / जायल / सिवाना / धरियावद / मनोहरपुर ।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
16. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सैल) अपलोड करने हेतु ।.

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी
स्वायत्त शासन विभाग

Scanned with CamScanner